2008:सीजीएचसी:8019

समक्ष माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विविध दांडिक याचिका क्रमांक 367/2008

याचिकाकर्ता: पूरण सिंह

विरुद्ध

अनावेदकगण: छत्तीसगढ़ राज्य व् अन्य

उद्घोषणा हेतु दिनांक 08 सितम्बर 2008 को सूचीबद्ध करें

सही/-
टी पी शर्मा
न्यायाधीश
6-9-2008

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

समक्ष माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विविध दांडिक याचिका क्रमांक 367/2008

आवेदक: पूरण सिंह, पिता- द्रिघ्पाल सिंह, उम्र- लगभग 52 वर्ष, निवासी- डी.सी रोड, अंबिकापुर, जिला- सरगुजा (छ.ग.)

विरुद्ध

अनावेदकगण: 1. छत्तीसगढ़ शासन,द्वारा पुलिस थाना-अंबिकापुर, जिला- सरगुजा(छ.ग.)

2. आनंद तिवारी, पिता- भगदत्ता तिवारी, उम्र- लगभग 45 वर्ष, निवासी- लहपात्र, अंबिकापुर, जिला- सरगुजा (छ.ग.)

3. समीउद्दीन, पिता- जस्मिद्दीन, उम्र- लगभग 32 वर्ष, निवासी- इमलीपारा नगर, अंबिकापुर, जिला- सरगुजा (छ.ग.)

4. मनोज सिंह, पिता- विषभ सिंह, उम्र- लगभग 30 वर्ष, निवासी-बौरीपारा नगर, अंबिकापुर, जिला- सरगुजा (छ.ग.)

5. जितेन्द्र अंबस्थ, पिता- इंद्रदेव नारायण, उम्र- लगभग 30 वर्ष, निवासी- बाबूपारा, अंबिकापुर, जिला- सरगुजा (छ.ग.)

6. मोहम्मद क्यूम, पिता- मोहम्मद यूनुस ख़ान, उम्र- लगभग 38 वर्ष, निवासी- इमलीपारा नगर, अंबिकापुर, जिला- सरगुजा (छ.ग.)

7. राजू गुप्ता, पिता- राम नारायण, उम्र- लगभग 38 वर्ष, निवासी- महामाया रोड, अंबिकापुर, जिला- सरगुजा (छ.ग.)

8. प्रदीप त्रिपाठी, पिता- सुरेश चंद्र त्रिपाठी, उम्र- लगभग 33 वर्ष, निवासी- मायापुर, अंबिकापुर, जिला- सरगुजा (छ.ग.)

9. कर्मू राम, पिता- मोहन राम, उम्र- लगभग 41 वर्ष, निवासी- राजपुरीखुर्द, जिला- सरगुजा (छ.ग.)

10. राम कुमार, पिता- हकीम राम, उम्र- लगभग 22 वर्ष, निवासी- मेंद्रिकला, जिला- सरगुजा (छ.ग.)

11. उमेश कुमार रजवाड़े, पिता- जीतूराम, उम्र- लगभग 30 वर्ष, निवासी- झूमरपारा, जिला- सरगुजा (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. हीरालाल गुप्ता, पिता- त्रिवेणी प्रसाद, उम्र- लगभग 24 वर्ष, निवासी- लोधिमा, जिला- सरगुजा (छ.ग.)

13. रघुबीर प्रसाद सोनी, पिता- त्रिवेणी प्रसाद सोनी, उम्र लगभग- 42 वर्ष, निवासी- मायापुर, अंबिकापुर, जिला- सरगुजा (छ.ग.)

14. जगदीश प्रसाद रजवाड़े, पिता- आलम साईं, उम्र- लगभग 32 वर्ष, निवासी- बड़धोधी, अंबिकापुर, सरगुजा, जिला- सरगुजा (छ.ग.)

15. शंकर राम, पिता- रामचरण चिकवा, उम्र- लगभग 35 वर्ष, निवासी- गांधी नगर, पुलिस थाना- अंबिकापुर, सरगुजा, जिला- सरगुजा (छ.ग.)

16. कृष्ण प्रसाद सिंह, पिता- ब्रिज बहादुर सिंह, उम्र- लगभग 39 वर्ष, निवासी- केशवपुर, अंबिकापुर, सरगुजा, जिला- सरगुजा (छ.ग.)

17. मनोज शर्मा, पिता- वैद्यनाथ शर्मा, उम्र- लगभग 42 वर्ष, निवासी- दर्रिपारा नगर, अंबिकापुर, जिला- सरगुजा (छ.ग.)

18. जगेश्वर राम रजवाड़े, पिता- कालीचरण, उम्र- लगभग 49 वर्ष, निवासी- आमादरहा, पुलिस थाना- दरिमा, जिला- सरगुजा (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(याचिका अंतर्गत धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973)

उपस्थित:

श्री मनोज परांजपे, अधिवक्ता वास्ते याचिकाकर्ता
श्री रविन्द्र अग्रवाल, पैनल अधिवक्ता वास्ते शासन/अनावेदक क्रमांक 1

एकलपीठ: माननीय श्री टी पी शर्मा, न्यायाधीश

आदेश

(दिनांक 08 सितम्बर 2008 को पारित)

1. इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने दिनांक 29-4-2008 को प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर द्वारा पारित दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक 47/2007 के आदेश की वैधता एवं औचित्य को चुनौती दी है, जिसके द्वारा माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 232/2006 में दिनांक 19-2-2007 को विरचित आरोप को आदेश द्वारा पुष्टि की है।

2. आक्षेपित आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि छत्तीसगढ़ (खाद्य पदार्थ) नागरिक आपूर्ति सार्वजनिक वितरण योजना, 1991 (संक्षेप में 'योजना') का कथित उल्लंघन जो छत्तीसगढ़ खाद्य पदार्थ (वितरण) नियंत्रण आदेश, 1960 (संक्षेप में 'नियंत्रण आदेश') के अंतर्गत विरचित नहीं किया है तथा योजना का कोई भी उल्लंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 3 सहपठित धारा 7 के अंतर्गत दंडनीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने आरोप विरचित कर गंभीर अवैधता की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. मैंने पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा किये गए तर्क को श्रवण किया हैं तथा आक्षेपित आदेश एवं याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत आरोप-पत्र की प्रति का अवलोकन किया है।

4. श्री मनोज परांजपे, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि इस प्रकरण में यदि पुलिस प्रतिवेदन/आरोप-पत्र में विरचित किये गए आरोपों को उनके वास्तविक रूप में ही स्वीकार कर लिया जाए, तब भी याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 3 सहपठित धारा 7 के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है । उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा 409 एवं 120-बी के अंतर्गत आरोप विरचित आदेश को चुनौती नहीं दे रहे हैं। आरोप-पत्र की प्रति से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान याचिकाकर्ता ने योजना की धारा 5, 6, 7(4), 9(1)(2), 11 तथा 12 का उल्लंघन किया है, जिसका दंड योजना की धारा 13 के अंतर्गत तथा अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत निर्धारित है। राज्य शासन ने नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के अंतर्गत कोई योजना निर्मित

नहीं की है, क्योंकि उक्त नियंत्रण आदेश राज्य शासन को इस प्रकार की योजना अथवा कोई योजना विरचित करने का अधिकार प्रदान नहीं करता। राज्य शासन द्वारा विरचित की गई योजना भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग स्वरूप है। इस प्रकार निर्मित योजना नियंत्रण आदेश का अंग नहीं है और न ही उसके अंतर्गत बनाई गई है, अतः उक्त योजना का कोई भी उल्लंघन अधिनियम की धारा 3 सहपठित धारा 7 के अंतर्गत दंडनीय नहीं है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मध्यप्रदेश राशन विक्रेता संघ एवं अन्य बनाम राज्य शासन, मध्यप्रदेश एवं अन्य[1] के मामले पर अवलंब किया है, जिसमें कि नियंत्रण आदेश की खण्ड 2(ड) के अंतर्गत योजना बनाने की शक्ति के प्रश्न से निपटते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने यह अधिनिर्धारित किया कि धारा 2(ड) में "शासन योजना" की परिभाषा दी गई है, जिसका अर्थ है— सरकार द्वारा स्थापित उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्य पदार्थों का वितरण करने के लिए शासन द्वारा बनाई गई योजना। किंतु उक्त प्रावधान शासन को ऐसी कोई योजना बनाने की शक्ति प्रदान नहीं करता। यदि सक्षम प्रावधान के अभाव में कोई योजना बनाई जाती है, तो वह नियंत्रण आदेश के अधीन बनाई गई योजना नहीं मानी जा सकती। यह भी प्रतिपादित किया गया कि शासन संविधान के अनुच्छेद 162 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर योजना बना सकता है, परंतु ऐसी योजना का उल्लंघन नियंत्रण आदेश के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं है, अतः उसका उल्लंघन अधिनियम की धारा 3 सहपठित धारा 7 के अंतर्गत दंडनीय नहीं होगा। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मध्यप्रदेश राशन विक्रेता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[1] 1981 जेएलजे 564

संघ सोसाइटी एवं अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य[2] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी अवलंब लिया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायलय द्वारा यह अधिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 162 के तहत बनाई गई योजना संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 19 का उल्लंघन नहीं करती। साथ ही, उन्होंने प्रकाश बाबू रघुवंशी बनाम मध्यप्रदेश राज्य[3] के निर्णय का अवलंब किया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह अधिनिर्धारित किया है कि "आदेश" में उसके अंतर्गत जारी निर्देश भी सम्मिलित होते हैं। इस मामले में योजना के उल्लंघन के मामले में उक्त नियंत्रण आदेश की प्रति प्राप्त करने के बाद जो मामले में कार्यवाही का आधार था, मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय को वापिस भेजा दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. दूसरी ओर, राज्य/अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने मध्यप्रदेश राशन विक्रेता संघ एवं अन्य (पूर्वोक्त) के मामले का सन्दर्भ देते हुए यह निवेदन किया कि उक्त याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान शासन ने नियंत्रण आदेश की खण्ड 2(ड) के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्य पदार्थों के वितरण हेतु एक योजना बनाई थी, जो मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। उक्त मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की युगलपीठ ने वर्ष 1981 में यह अधिनिर्धारित किया गया है कि नियंत्रण आदेश की खण्ड 2(ड) अथवा अन्य किसी धारा के अंतर्गत शासन को योजना बनाने की कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है और उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्य पदार्थों के वितरण हेतु विरचित कोई भी योजना,

---

[2] ऐआईआर 1981 एससी 2001

[3] (2004) 7 एससीसी 490

यदि बनाई जाती है, तो वह राज्य शासन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 162 में प्रदत्त शक्ति के तहत विरचित योजना हो सकती है, न कि नियंत्रण आदेश के अधीन। परंतु वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने राज्य शासन द्वारा वर्ष 1981 से पूर्व बनाई गई छत्तीसगढ़ (खाद्य सामग्री) नागरिक आपूर्ति सार्वजनिक वितरण योजना की वैधता एवं औचित्य को चुनौती नहीं दी है, बल्कि उसने छत्तीसगढ़ (खाद्य पदार्थ) नागरिक आपूर्ति सार्वजनिक वितरण योजना, 1991 की वैधता और औचित्य को चुनौती दी है, जो 1-1-1992 से प्रभावशील हुई। वर्तमान मामले में चुनौती दी गई उक्त योजना नियंत्रण आदेश की धारा 4 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर बनाई गई है। अधिसूचना क्रमांक **F**-4/113/89/**XXIX**/2 भोपाल दिनांक 21-2-1991 के माध्यम से राज्य शासन ने नियंत्रण आदेश की खण्ड 2(ड) एवं खण्ड 4 में संशोधन किया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संशोधित नियंत्रण आदेश की धारा 2(ड) इस प्रकार हैः

"शासन योजना" का अर्थ है, इस आदेश की धारा 4 के अधीन शासन द्वारा इस प्रयोजनार्थ स्थापित उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों का वितरण करने हेतु बनाई गई योजना से है। नियंत्रण आदेश की धारा 4 इस प्रकार हैः

"शासन उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्य पदार्थों के वितरण हेतु योजना बना सकती है।"

7. माननीय पैनल अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि मध्यप्रदेश राशन विक्रेता संघ एवं अन्य (पूर्वोक्त) तथा मध्यप्रदेश राशन विक्रेता संघ सोसाइटी एवं अन्य (पूर्वोक्त) के मामलों में यह अधिनिर्धारित किया गया था कि सक्षम प्रावधान के अभाव में राज्य

शासन को नियंत्रण आदेशों के अधीन कोई योजना बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं था। किंतु नियंत्रण आदेश को अधिसूचना क्रमांक **F**-4/113/89/**XXIX**/2 भोपाल दिनांक 21-2-1991 के माध्यम से संशोधन किया गया, जो 21-2-1991 से प्रभावशील हुआ और 21-2-1991 के बाद राज्य सरकार को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों के वितरण हेतु योजना बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। राज्य शासन ने नियंत्रण आदेश की खण्ड 4 के अनुसार यह योजना बनाई, जिसके लिए वह सक्षम है, और खण्ड 4 के अधीन बनाई गई योजना नियंत्रण आदेश के अधीन निर्मित योजना है, जो नियंत्रण आदेश का अभिन्न अंग है. ऐसी योजना का उल्लंघन नियंत्रण आदेश का उल्लंघन है और यह अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन होने के कारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत दंडनीय है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. वर्तमान याचिका दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधिनियम की धारा 3 सहपठित धारा 7 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 एवं 120-बी के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप को अभिखंडित करने हेतु प्रार्थना की गई है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप केवल अत्यंत विरलता से वायरल मामलों में ही न्यायालय की प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से किया जाता है। धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन निहित अधिकार क्षेत्र अथवा असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग संयमपूर्वक एवं केवल अत्यंत विरलतम मामलों में ही किया जाना चाहिए।

9. अभियोग पत्र की प्रति से यह प्रकट होता है कि कथित अपराध दिनांक 11-11-1998 को घटित हुआ है। नियंत्रण आदेश की खण्ड 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, मध्यप्रदेश राज्य ने 1-1-1992 से प्रभावशील "मध्यप्रदेश (खाद्य सामग्री) नागरिक आपूर्ति सार्वजनिक वितरण योजना, 1991" का निर्माण किया। 1991 की वर्तमान योजना नियंत्रण आदेश की धारा 2 (घ) अथवा भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के अधीन निर्मित नहीं की गई थी। नियंत्रण आदेश की धारा 4 में संशोधन के उपरांत राज्य सरकार को नियंत्रण आदेश के अंतर्गत योजना बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। मध्यप्रदेश राशन विक्रेता संघ एवं अन्य (पूर्वोक्त) प्रकरण में, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने यह अधिनिर्धारित किया कि यद्यपि सरकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के अधीन योजना बनाने का अधिकार था, तथापि नियंत्रण आदेश में किसी सक्षम प्रावधान के अभाव में, विशेषकर खण्ड 2 (घ) जो केवल 'शासन योजना' को परिभाषित करती है, राज्य सरकार को नियंत्रण आदेश के अधीन कोई योजना बनाने का अधिकार नहीं था। और यदि ऐसी कोई योजना भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के अधीन बनाई गयी थी, तो वह यद्यपि खाद्य सामग्री के वितरण के लिए हो सकती है, तथापि वह नियंत्रण आदेश के अधीन योजना नहीं मानी जाएगी; अतः ऐसी योजना की किसी खण्ड का उल्लंघन नियंत्रण आदेश का उल्लंघन नहीं माना जाएगा और वह अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत दण्डनीय नहीं होगा। योजना बनाने की परिधि एवं राज्य सरकार की क्षमता पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यप्रदेश राशन विक्रेता संघ सोसायटी एवं अन्य (पूर्वोक्त) प्रकरण में यह अधिनिर्धारित किया कि उक्त योजना नियंत्रण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश के अधीन नहीं बनाई गई थी और नियंत्रण आदेश में ऐसी योजना बनाने के लिए किसी सक्षम प्रावधान के अभाव में, "मध्यप्रदेश (खाद्य सामग्री) नागरिक आपूर्ति सार्वजनिक वितरण योजना, 1981" राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण आदेश की खण्ड 2 (घ) के अधीन नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 162 के अधीन विरचित की गई थी। प्रकाश (उपर्युक्त) प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष "मध्यप्रदेश सार्वजनिक पूर्ति वितरण योजना, 1991" (एक अन्य योजना) को चुनौती दी गई थी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने उस नियंत्रण आदेश की प्रति प्राप्त करने के उपरांत विचारार्थ प्रकरण को उच्च न्यायालय को वापस भेजा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. वर्तमान प्रकरण में, नियंत्रण आदेश की खण्ड 4 के माध्यम से संशोधन किए जाने के पश्चात् राज्य सरकार को नियंत्रण आदेश की खण्ड 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर योजना बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। फलस्वरूप राज्य सरकार ने "छत्तीसगढ़ (खाद्य सामग्री) नागरिक आपूर्ति सार्वजनिक वितरण योजना, 1991" का निर्माण किया गया था। उक्त रूप से निर्मित योजना नियंत्रण आदेश के अधीन बनाई गई योजना है और ऐसी योजना का उल्लंघन नियंत्रण आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। अतः उक्त योजना का कोई भी उल्लंघन, अधिनियम की धारा 3 के सन्दर्भ में जारी नियंत्रण आदेश का उल्लंघन होगा, जो अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत दण्डनीय है। मध्यप्रदेश राशन विक्रेता संघ एवं अन्य (उपर्युक्त) तथा मध्यप्रदेश राशन विक्रेता संघ सोसायटी एवं अन्य (उपर्युक्त) प्रकरणों में निर्णय दिए जाने के उपरांत, राज्य सरकार ने नियंत्रण आदेश में संशोधन कर

योजना निर्माण के लिए उपयुक्त प्रावधान नियंत्रण आदेश की धारा 4 में सम्मिलित किए, जिसके लिए सरकार सक्षम थी।

11. उपर्युक्त कारणों से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप विरचित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधता अथवा अनियमितता नहीं की है। मुझे वर्तमान याचिका में कोई सार नहीं प्रतीत होता, अतः यह खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार, इसे खारिज किया जाता है।

सहीं/-
टी.पी.शर्मा
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by: Adv. Navdeep Agrawal